न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—47/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः— 53 आरटीए

जसवीर कौर पत्नी जगजीत सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

—वादीया

बनाम

1. भूरा सिह	पि. रखा सिह	
2. कपुर		जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया
3. मखन सिह पुत्र अजायब सिह		जिला हनुमानगढ (राज.)
4. एक्सीस बैंक शाखा संगरिया।		

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

प्रतिवादीगण

उपस्थित :— श्री नवरत्न स्वामी अधिवक्ता वादीया
श्री राज कुमार स्वामी अधिवक्ता प्रति सं. 1 ता 3
राज—पेरोकार प्रतिवादी संख्या 5

निर्णय   दिनांक :— 25.06.2019

वादीया अधिवक्ता ने प्रतिवादीगण के विरूद्व यह दावा बाबत खाता तक्सीम का इस न्यायालय में पेश किया कि वादीया एंव प्रतिवादीगण का पंजीयत पता सिविल प्रक्रिया संहिता के आज्ञापक प्रावधानो के मुताबिक वही है जो कि दावा शीर्षक मे दर्ज है।

वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 संयुक्त खाता चक नं. 13 बीजीपी के खाता संख्या 86/84 के खातेदार काश्तकार है। जिसमें वादीया 0.253 है. की खातेदार काश्तकार है। नकल जमाबन्दी हमराह दावा प्रस्तुत है। वादी एवं प्रतिवादीगण का अर्सादराज पूर्व घरू तौर पर बंटवारा हो चुका है मुताबिक घरू बंटवारा के वादीया के हिस्सा व कब्जा काश्त निम्न प्रकार से भूमि हिस्सा में आई है। चक नं. 13 बीजीपी खाता संख्या 86/84 प.नं. 183/157 मु.नं. 46 किला नं. 4/0.228 गै.मु. 0.025 कुल मय गै.मु. 0.253 है. वादीया ने घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कृषि भूमि पर काफी श्रम कर व पैसे खर्च कर भूमि सुधार किया व उसे काश्त योग्य बनाया है। इसलिऐ वादीया अपना खाता तक्सीम करवा कर रकम राज अलग से कायम करवाने की मुस्तहक एवं दावेदार है। वादीया ने प्रतिवादीगण से कई दफा निवेदन किया कि घरू बंटवारा मुताबिक हिस्सा में आई कब्जा काश्त कृषि भूमि का खाता तक्सीम करवा लेवे किन्तु प्रतिवादीगण पहले तो टालमटोल करते रहे एवं अन्त में पिछले सप्ताह ऐसा करने से कतई इन्कार कर दिया बस यही विनाय दावा है।

उक्त दावा पेश होने पर तथा सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया, तथा प्रतिवादीगण की तलबी हेतु सम्मन जारी किये गये। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने जरिए अधिवक्ता सहमति का जवाबदावा पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5 राज—पेरोकार ने अपना जवाब

दावा पेश किया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या 4 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल लाई गई। साक्ष्य वादी में वादीया जसवीर कौर का शपथ पत्र अन्तर्गत आदेश 18 नियम 4 सीपीसी पेश किया जो शामिल पत्रावली किया। वादीया की शहादत समाप्त की।

बहस उभय पक्ष सुनी गई वादीया एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 ने वाद पत्र की चरण संख्या 3 के अनुसार डिक्री करने की इस्तदुआ की एवं प्रतिवादी 5 द्वारा अपने जवाब दावा में वाद पत्र को राज्यहित हित ध्यान में रखते हुए वाद पत्र को डिग्री किये जाने का कथन किया तथा मेरे द्वारा बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया। प्रतिवादीगण की ओर से प्रस्तुत किए गए जवाबदावा एव पत्रावली तथा रिकार्ड का अवलोकन एवं मनन करने पर वादीया का वाद डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

क्रियात्मक आदेश

उक्त विवेचन के आधार पर वादीया का वाद पत्र डिग्री किया जाता है कि वादीया की चक नं. 13 बीजीपी खाता संख्या 86/84 प.नं. 183/157 मु.नं. 46 किला नं. 4/0.228 गै.मु. 0.025 कुल मय गै.मु. 0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम कर रकम राज अलग से किये जाने के आदेश दिये जाते है। नियमानुसार स्टाम्प ड्युटी जमा होने पर पर्चा डिक्री जारी हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 25.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–47 / 2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः– 53 आरटीए

जसवीर कौर पत्नी जगजीत सिह जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज0

–वादीया

बनाम

1. भूरा सिह | पि. रखा सिह
2. कपुर
3. मखन सिह पुत्र अजायब सिह
4. एक्सीस बैंक शाखा संगरिया।

जाति जटसिख निवासी भगतपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज.)

5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तह संगरिया

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नवरत्न स्वामी वकील वादीया मिन जामिन मुदई श्री राजकुमार स्वामी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है कि वादीया की चक नं. 13 बीजीपी खाता संख्या 86 / 84 प.नं. 183 / 157 मु.नं. 46 किला नं. 4 / 0.228 गै.मु. 0.025 कुल मय गै.मु. 0.253 है. भूमि का खाता अलग कायम किया जाकर रकम राज अलग से कायम किया जावे। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में ऋण यथावत रहेगा।

निज.............निल.............मुब्लिक.............निल.............बाबत.............निल.............खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक.............अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 25.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया